राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ 1(4)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 4977 दिनांक : 21.07.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य निरर्हता के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.03.2026।

संदर्भः– आयोग का आदेश कमांक 502 दिनांक 02.06.1999।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्यों के निर्वाचन के समय अभ्यर्थियों से संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग लिये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 25.03.2026 से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधिनियम संख्या 18 की धारा 2 एवं 24 में संशोधन कर नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है, अतः आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित आदेश संख्या 502 दिनांक 02.06.1999 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

20/7/20

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/4978-81 दिनांक :– 21.07.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई–मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

(नीरज शर्मा)
सहायक सचिव

(54)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः प.4(1)(10)नपा/रानिआ/94/502 जयपुर, दिनांकः 2.6.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य निरर्हता के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन के समय अभ्यर्थियों से संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग ली जाती है। निर्वाचन के उपरान्त निर्वाचित सदस्यों के संतान होने पर इनकी निरर्हता का प्रश्न उत्पन्न होता है जिसकी जांच प्रायः जिला कलेक्टर द्वारा कराई जाती है। चुनाव लड़ते समय अभ्यर्थियों द्वारा संतान संबंधी घोषणा/ अण्डरटेकिंग रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है जिसमें इनकी संतानों का विवरण अंकित होता है। निर्वाचन के उपरान्त यदि निर्वाचित सदस्य की संतानों की संख्या में वृद्धि होती है तो निर्वाचन के उपरान्त होने वाली संतानों के तथ्य का पता लगाकर संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग की मदद से जांच अधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने में सुविधा रहेगी कि क्या निर्वाचित सदस्य अधिक संतान होने के कारण अयोग्य है अथवा नहीं।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि भविष्य में नगरपालिका सदस्यों के लिए होने वाले निर्वाचनों में अभ्यर्थियों से प्राप्त संतानों संबंधी घोषणा/ अण्डरटेकिंग की दो प्रतियां प्राप्त की जावें जिसमें से एक प्रति जिला कलेक्टर को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात भेजी जावे ताकि निर्वाचित सदस्यों की धारा 26(xiv) के अन्तर्गत प्रकरणों की जांच करने में जिला कलेक्टर/जांच अधिकारी को सुविधा रहे।

भवदीय,
– ह. –
(आर.के.पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 06, शुक्रवार, *शाके* 1948- मार्च 27, 2026

Chaitra 06, Friday, Saka 1948- March 27, 2026

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2026

संख्या प.2(11)विधि/2/2026.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का अधिनियम संख्यांक 7)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xix) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द और विराम चिह्न "कुष्ठ," हटाया जायेगा।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (xvii) हटाया जायेगा;

(ii) परन्तुक का विद्यमान खण्ड (ङ) हटाया जायेगा; और

(iii) विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा।

राघवेन्द्र काछवाल,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 25, 2026

No. F. 2(11)Vidhi/2/2026.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (2026 Ka Adhiniyam Sankhyank 7):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2026
(Act No. 7 of 2026)

(Received the assent of the Governor on the 24th day of March, 2026)

An
Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-clause (a) of clause (xix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the existing word and punctuation mark "leprosy," shall be deleted.

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 24 of the principal Act,-

(i) the existing clause (xvii) shall be deleted;
(ii) the existing clause (c) of proviso shall be deleted; and
(iii) the existing **Explanation** shall be deleted.

राघवेन्द्र काछवाल,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।